

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

Ref. No.: RMLAU/ADMIN/2021/561

DATE: 06 September, 2021

CORRIGENDUM REGARDING ADVERTISEMENT FOR TEACHING / NON TEACHING REGULAR POSTS VIDE Advt. No. RMLAU/ADMIN/60/2021 & Ref. No.: RMLAU/ADMIN/360/2021 DATE 30 June, 2021 (ADVERTISEMENT FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR/PROFESSOR/ASSISTANT LIBRARIAN POSITIONS)

In reference to the above cited advertisement, it is for the information of all concerned that the selection procedure will take place as per directives (Ref. No. ई–5862 / जीoएसo दिनांक 03 सितम्बर, 2021) issued by office of the Hon'ble Governor.

Registrar

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ-226027

पत्रांक : ई- 5862 / जी०एस० दिनांक : 03, सितम्बर , 2021

प्रेषक.

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सविव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में.

कुलपति, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

महोदय,

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के बारे में मा० कुलाधिपति के आदेश दिनांक 18 मई, 2021 तथा दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बारे में कृपया अपने पत्र संख्या:अ०क०प्रा०वि०/कुप०का०/2021/11957, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में आपके द्वारा निम्न बिन्दु घर मार्गदर्शन मांगा गया है:-

"...... सहायक आचार्य / सह आचार्य एवं आचार्य अन्तिम चयन :

• 'प्रथम चरण-{Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API}'' तथा ''द्वितीय चरण-साक्षात्कार'', के दोनों चरणों के अंकों के योग के आधार पर किया जाना है।

अथवा

• केवल द्वितीय चरण-साक्षात्कार" के आधार पर ही किया जाना है एवं "प्रथम चरण-{Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API}" Shortlisting हेतु होगा।"

उपरोक्त जिज्ञासा के कम में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

आदेश दिनांक 02 जुलाई, 2021 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि
सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन की प्रकिया के दो चरण
होंगे। प्रथम चरण शार्टलिस्टिंग का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का होगा।

- 2. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या—अ के 2. 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सहायक आचार्य के सन्दर्भ में शार्टिलिस्टिंग की प्रक्रिया 140 अंकों के आचार पर होगी। शार्टिलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टिलिस्टेड अभ्यर्थियों का शिक्षण कौशल की जानकारी (कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतीकरण) 20 अंकों की तथा साक्षात्कार 10 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 30 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 30 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टिलिस्टिंग के लिए निर्धारित 140 अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
- 3. पत्र दिनांक 02 जुलाई. 2021 के बिन्दु संख्या—ब के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सह आचार्य एवं आचार्य के सन्दर्भ में शार्टिलिस्टिंग की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। शार्टिलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टिलिस्टेड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 20 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 20 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टिलिस्टिंग के लिए निर्धारित अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता) अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल।

प्रतिलिपि कुलपतिगण, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, निदेशक, संजय गांधी स्नात्कोत्तर गान संस्थान, लखनऊ/निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को सूचनार्थ एवं क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (डा० पंकज एल० जानी) विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा श्री राज्यपाल।